

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रसारण (गुप-3) विभाग

विषय- टेलीफोन/मोबाइल के बिल ई-मेल एड्रेस पर भिजवाने के लिए ई-मेल एड्रेस भारत संचार नियम लिमिटेड, जयपुर में भर्तीकृत करवाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्वयत आपका ज्ञान इस विभाग के समस्तकृत परिपत्र दिनांक 12.4.12 की ओर आवर्षित कराते हुए निर्देशानुसार निवेदन है कि आपके कार्यालय/निवास के टेलीफोन एवं मोबाइल बिल विलम्ब से प्राप्त होने की समस्या के समाधान हेतु भारत संचार नियम लिमिटेड, जयपुर द्वारा टेलीफोन/मोबाइल के बिल सम्बन्धित उपमोता को उसकी ई-मेल एड्रेस पर भिजवाये जाने की व्यवस्था के परिपेक्ष्य में निर्धारित प्रपत्र में सूचना भारत संचार नियम लिमिटेड, जयपुर को भिजवाने हेतु लिखा गया था, कुछ कार्यालयों द्वारा इस संबंध में सूचना अपूर्ण प्रेषित की है तथा कतिपय कार्यालयों द्वारा उक्त सूचना अगौ तक नहीं भिजवायी गयी है।

अतः उक्त परिपेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि कृपया ई-मेल से बिल प्राप्त करने हेतु सहायक महाप्रबंधक, (ईपी), कार्यालय प्रधान महाप्रबंधक, कमरा नं०-104, टैक्स बिल्डिंग, भारत संचार नियम लिमिटेड, एन.आई. रोड, जयपुर (फैक्स-2360400) को निम्न प्रपत्र में सूचना अविलम्ब भिजवाकर अपने ई-मेल एड्रेस को निम्न में भर्तीकृत करवाने की व्यवस्था कराते; साथ ही इस विभाग को उक्त सूचना टेलीफोन/मोबाइल बिल की प्रति सहित भिजवाने की व्यवस्था कराते ताकि भविष्य में बिल ई-मेल एड्रेस पर विभाग को प्राप्त हो जाये।

क्रमांक	टेलीफोन नंबर/ मोबाइल नंबर	बिलिंग टेलीफोन के बिल में अतिरिक्त अंकित आवासी	मोबाइल के बिल में अतिरिक्त अंकित सेवा	कार्यालय ई-मेल एड्रेस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1. (G) 0141-			
	2. (R) 0141-			
	3. (M)			

उप शासन सचिव

- समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव  
मंत्रीमण/श्रवणकीर्ण/संरक्षीय सचिवमण  
(जिनमे सूचना प्राप्त हो गयी है उनके अतिरिक्त)
- समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव  
शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
- शासन सचिवालय स्थित  
शासन उप सचिव एवं समकक्ष स्तर के अधिकारी

जशा0टीम 30 5(10)रतप्र/3/08  
जयपुर, दिनांक- 10-07-2012